न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –26/2017

वादीगण	**प्रतिवादीगण**
1. मफाराम	1. भीका(भीखा)
2. मसराराम	2. वीरा
3. जसाराम	3. बाबू
4. कान्तिलाल पिसरान हटाराम	4. रमेश पिसरान उखरडा
5. दाड़ी	5. पंखुदेवी पत्नि माला
6. झमका	6. करताराम
7. प्यारी	7. मंगलाराम
8. लाडू	8. वगताराम
9. भागू पुत्रीयान हटाराम	9. नवाराम पिसरान माला
10. पोखड़ी पत्नि हटाराम जातियान भील निवासीयान रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर	10. नदू
	11. सती पुत्रीयान माला
	12. प्रतापा
	13. वरदा
	14. मगा पिसरान मकना जातियान भील निवासीयान रानीवाडा कलां तहसील रानीवाडा
	15. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई अमृत कटारिया।
2. राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 09.09.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा रानीवाडा कलां के खाता संख्या 588 खसरा नम्बर 1451 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै.मू.बेरा, खसरा नम्बर 1452 रकबा 1.86 हैक्टेयर किस्म जाव दोयम चाही दोयम जुमले रकबा 1.87 हैक्टेयर व खाता संख्या 128 खसरा नम्बर 1392 रकबा 1.38 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 1395 रकबा 0.74 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम जुमले रकबा 2.12 हैक्टेयर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की संयुक्त एवं सामलाती खातेदारी की आराजी आई हुई है। उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्य 1 से 14 के संयुक्त कब्जे काश्त की सामलाती आराजी होने से उक्त आराजी को विकसीत करने तथा उक्त आराजी [illegible] बंटवाडा करवाने हेतु कई बार कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 14 ने उक्त आ[illegible] आपसी सहमति से बंटवाडा कराने में बहानेबाजी की। दिनांक 01.07.2017 [illegible] वादीगण [illegible]जी की देखभाल [illegible] हुये थे तब प्रतिवादी संख्या 1 से 14 उसे [illegible] उन्हे वादग्रस्त [illegible] आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 14 [illegible] वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.01.12 13:34:55 IST
Reason: SelfAttested

आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने का मना कर दिया तथा लाठी के बल पर बैदखल करने की एलानिया धमकी दी। तत्तपश्चात दिनांक 10.07.2017 को वादीगण ने पुनः प्रतिवादी संख्या 1 से 14 को वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 14 ने वादीगण को आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने का इंकार कर दिया तथा वादीगण को एलानिया धमकी दी कि हम तुम्हें उक्त आराजी में काश्त भी नहीं करने देंगे तथा तुमने ज्यादा किया तो तुम्हे लाठी के बल पर उक्त आराजी से बैदखल कर देगें। ऐसी स्थिति में वादीगण वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर मौके पर कब्जे काश्त की सुविधानुसार बंटवाडा करवा कर उक्त आराजी में से 1/2 हिस्सा अलग बंट में प्राप्त करने के अधिकारी है तथा वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के अवैध व गैर कानूनी कृत्यों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रूकवाने के अधिकारी है। इसलिये वादीगण की ओर से यह दावा बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 14 बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

दिनांक 27.06.2018 को लोक अदालत ग्राम पंचायत रानीवाडा कलां में वादीगण संख्या 1 से 4 व प्रतिवादीगण 1 से 15 हाजिर। उपस्थित वादी व प्रतिवादीगण ने अपना–अपना 1/2, 1/2 हिस्सा स्वीकार किया गया। इसलिए मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक 211 दिनांक 27.06.2018 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक 5818 दिनांक 19.02.2020 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर दिनांक 05.03.2020 को उपस्थित पक्षकारान व वादी अधिवक्ता को पढकर सुनाया गया । वादी के अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की गई। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र.स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	मफाराम ,मसराराम, जसाराम, कान्तिलाल पि. हटाराम दाड़ी, झमका, प्यारी, लाडू ,भागू पुत्रीया हटाराम पोखडी पत्नि हटाराम कौम भील सा.देह खातेदार।	1392	1.38	1.38	बारानी सोयम	हरा	2.76
		1395	0.76	0.615	बारानी सोयम	हरा	1.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.01.12 13:34:55 IST
Reason: SelfAttested

2.	करताराम, मंगलाराम, वगताराम, नवाराम पि. माला ,नदू, सती पुत्रीया माला 1/21, पंखुदेवी पत्नि माला 5/42, भीखा, वीरा, बाबू ,रमेश पि. उखरडा 2/3, प्रतापा, वरदाराम, मगाराम पि. मकना 11/144, रतनी पत्नि मकना 1/144 कौम भील सा. देह खातेदार।	1395	0.76	0.125	बारानी सोयम	केसरिया	0.25
		1451	0.01	0.01	गै.मू.बेरा	केसरिया	0.00
		1452	1.86	0.91	चाव दोयम	केसरिया	26.39
				0.95	जाव दोयम	केसरिया	7.60

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमी या नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 09.09.2020 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.01.12 13:34:55 IST
Reason: SelfAttested